

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

Non Encumbrance Certificate issued to Costurics Homes & Developers
 अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 118 आवेदन पत्र संख्या
 प्रमाण पत्र संख्या
 354/20 श्री Jourav Paul ने मेरे पास आवेदन

किया है कि निम्नलिखित

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संब्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0 01/01/2010.....

से ता0 11-03-2025..... तक तलाशी की गई और ऐसी

तलाशी के बाद निम्न संब्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । वपते कि इसके बारे में उल्लेख हो

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह शी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छाड़ कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवशरों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाषी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न लिखित कार्यालय,
 खरमठिया-खरमठिया 0 6501-04 2010 से 11/03, 2025
 मालाका मिश्रा प्रमुख अधिकारी का 6/2 का पते पर 0 6501-04 2010
 गोला-खोटागारहा (ग) खरम-गठिया (ग), पार्सल 67,
 हस्ताक्षर - मालाका मिश्रा
 पदनाम - प्रमुख अधिकारी

तलाषी का सत्यापन ऋणशर प्रमाण पत्र का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर - मालाका मिश्रा

पदनाम - प्रमुख अधिकारी

कार्यालय - खरमठिया

तारीख 12/03/2025



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
 जिला अवर निबंधक
 खरमठिया-खरमठिया

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवशरों के विवरण दिए गये हैं । वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं । यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेक्शन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे ।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाषी करनी होगी ।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी ।
 (क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाषी नहीं की है । इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाषी अपने भर त्रक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाषी परिणाम को किसी भूल के लिए भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाषी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहार और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहार और अवधारों को छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभाव पड़ता हो ।